छोटा अब भी सुन्दर और प्रतिस्पर्धी है - भारत में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योगों (एमएसएमई) पर अनुचिंतन *

आनन्द सिन्हा

श्री पार्थ चटर्जी, माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य और उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, डॉ.मानस रंजन भुइयाँ, माननीय प्रभारी मंत्री, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा कपड़ा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, डॉ.राजीव सिंह, महानिदेशक, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता, और अन्य प्रतिष्ठित अतिथि। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए मैं वस्तुतः हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ।

2. यह सम्मेलन अनेक कारणों से बहुत उपयुक्त समय पर आयोजित किया गया है। पहला, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, भारत सहित पूरे विश्व में समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थिरता का अनुसरण किया जा रहा है। वित्तीय संकट के बाद मंदी से उबरने में, ऋण के ओवरहैंग के चलते काफी समय लगता है क्योंकि विशेष सुविधा व्यापार लगभग सदैव सभी प्रकार के वित्तीय संकट का कारण होता है। अतः वर्तमान संकट से मुक्ति की गति काफी धीमी और अनिश्चित है। इस परिदृश्य में, एक सुदृढ़ीकृत और अधिक आघात सहनीयतायुक्त सूक्ष्म, लघु और मझौला उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र आर्थिक सुधार में मददगार होगा और वित्तीय प्रणाली को अधिक स्थायित्व प्रदान करेगा। दूसरा, समावेशी वृद्धि को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है और नीति-निर्माताओं द्वारा इसका अनुसरण वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और ग्राहक रक्षा पहलों के माध्यम से किया जा रहा है। एमएसएमई को न केवल इन प्रयासों का प्रमुख लाभार्थी माना गया है, बल्कि माँग पक्ष की ओर से भी उनसे वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने में सहायता करने की उम्मीद की गयी है। तीसरा, देश के व्यापार संतुलन में ह्रास होने के चलते यह अपेक्षित है कि निर्यात पर अविलंब ध्यान केंद्रित किया जाये। निर्यात में एमएसएमई के महत्त्वपूर्ण हिस्से को देखते हुए हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में उनकी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

3. अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में एमएसएमई की भूमिका को मान्यता देते हुए उनके विकास के लिए भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा वर्षों से अनेक प्रयास किये गये हैं। मैं इन प्रयासों को तीन स्थूल श्रेणियों में बाटूँगा - संस्थागत उपाय, नीतिगत समर्थन उपाय और कार्यसंपादन की निगरानी को सक्षम बनाने के उपाय। संस्थाओं के सृजन, यथा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राज्य वित्त निगम (एसएफसी) आदि से एमएसएमई को उनकी ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक संस्थागत समर्थन मिला है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के एक भाग के रूप में एमएसएमई को दिये गये ऋण को शामिल करना, वर्ष 2005 में एसएमई क्षेत्र को ऋण-प्रवाह बढ़ाने के लिए पॉलिसी पैकेज, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए संशोधित ऋण गारंटी योजना, विनिर्माण के काम में लगे एमएसई के लिए कार्यसंपादन और ऋण पात्रता निर्धारण योजना, एमएसई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और हाल की वित्तीय समावेशन नीतियों को लागू करते हुए एमएसएमई की वृद्धि के लिए समर्थक नीतियाँ बनायी गयी हैं। बैंकों से एमएसएमई को ऋण-प्रवाह की निगरानी परोक्ष विवरणियों के माध्यम से, प्रत्यक्ष निरीक्षण और एसएलबीसी, आदि जैसे मंच से करने से एमएसएमई को बढ़ा हुआ ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है।

4. वर्ष 2011-12 के दौरान, भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए अनेक उपाय किये हैं, यथा, (i) सरकारी खरीद नीति का अनुमोदन, जिसमें यह विचार है कि वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक खरीद का कम से कम 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से केंद्रीय मंत्रालयों /विभागों /पीओएस द्वारा खरीदा जायेगा जिसमें

* 12 जुलाई 2012 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता द्वारा एमएसएमई सहबद्धता के साथ प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के संबंध में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में आनन्द सिन्हा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का भाषण। सुश्री एल.वडेरा, डॉ.सिगला सुबैय्या, श्री ब्रिज राज, श्री जय कुमार यारासी द्वारा प्रदान की गयी निविष्टियों के लिए आभार व्यक्त किया जाता है।

से 4 प्रतिशत (20 प्रतिशत का 20 प्रतिशत) खरीद अनुसूचित जाति /जनजाति (एससी /एसटी) उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदा जायेगा (ii) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा एसएमई के लिए स्टॉक एक्सचेंज /ट्रेडिंग प्लैटफार्म स्थापित किये जाने की अनुमति (iii) वर्ष 2011-12 में 4.78 लाख व्यक्तियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन (जिसका लक्ष्य वर्ष 2012-13 में इस संख्या को बढ़ा कर 5.72 लाख व्यक्ति करना है) करना, जिसका उद्देश्य है देश में स्व-नियोजन अवसर और रोजगार के अवसर विकसित करना और (iv) देश में एमएसई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता तथा क्षमता-निर्माण को बढ़ाने के लिए प्रमुख रणनीति के रूप में समूह दृष्टिकोण अपनाना।

5. उपर्युक्त उपायों ने निश्चित रूप से एक समर्थक वातावरण बनाया है और एमएसएमई के विकास को सुविधाजनक बनाया है। तथापि, मैं मानता हूँ कि अब तक हम एमएसएमई की इस विशाल अंतःशक्ति के एक बहुत छोटे हिस्से का अनुभव कर सके हैं। एमएसएमई की गुप्त और अप्रयुक्त संभावना का यदि उचित रूप से पोषण किया जाये तो इससे काफी रोजगार सृजन होगा और देश की उच्चतर आर्थिक वृद्धि होगी।

6. इसलिए मैं अपनी वार्ता का शेष भाग हमारे आर्थिक विकास में एमएसएमई की भूमिका, उसके विकास संबंधी मुद्दों, नीतिगत उपाय और भावी एजेंडा पर केंद्रित करूँगा।

II. एमएसएमई का महत्त्व

7. मैं एमएसएमई के महत्त्व पर अधिक जोर देते हुए कुछ नहीं कहना चाहता। वर्ष 1973 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री ई.एफ.शूमेकर ने अपनी पुरस्कृत पुस्तक '***स्मॉल इज ब्यूटीफुल : इकोनॉमिक्स ऐज इफ पिपुल मैटर्ड***' में यह तर्क दिया था कि छोटी और युक्तियुक्त प्रौद्योगिकी ही लोगों को अधिक सशक्त बनाती है। वर्ष 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, *'एमएसएमई एक गत्यात्मक और सक्रिय क्षेत्र है जो उद्यमकर्ता-प्रतिभा का पोषण करने के अतिरिक्त सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है जिसमें पूरे देश में लाखों लोगों को रोजगार देना शामिल है।'* (पृ.217)। एमएसएमई पूरी दुनिया में भी व्यवसाय संगठनों के अभिभावी रूप का गठन करते हैं और रोजगार मुहैया कराने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में छोटे व्यवसाय मोटे तौर पर आधे अमेरिकियों को रोजगार देते हैं और वे लगभग 60 प्रतिशत लोगों को कार्य में लगाने के लिए जिम्मेवार होते हैं।[1] ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं में एसएमई और व्यष्टि उद्यम 95 प्रतिशत फर्मों, 60-70 प्रतिशत रोजगार, 55 प्रतिशत जीडीपी और नये रोजगार के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेवार होते हैं।

8. भारत में, वर्ष 2010-11 में यह पूर्वानुमान किया गया था कि एमएसएमई क्षेत्र पूरे देश में 311 लाख उद्यमों में लगभग 732 लाख लोगों को रोजगार देगा और यह रोजगार सृजन में कृषि से दूसरे स्थान पर होगा। एमएसएमई 6000 से अधिक उत्पाद बनाते हैं जिसमें मशीनों और उपकरणों से लेकर परिधान और खाद्य पदार्थ और फर्नीचर होते हैं और वे विनिर्मित उत्पादों के लगभग 45 प्रतिशत और देश के निर्यात के 40 प्रतिशत होते हैं। जीडीपी में एमएसई का योगदान बढ़ता रहा है और यह वर्ष 2008-09 में लगभग 8.7 प्रतिशत था (चार्ट 1)। इस क्षेत्र का एक अन्य उल्लेखनीय लक्षण यह था कि इसने समग्र औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में उच्चतर वृद्धि को वर्ष 2004-08 के दौरान निरंतर बनाये रखा। समावेशी वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में यह जोर देकर कहा जा सकता है कि बड़े उद्योगों की तुलना में एमएसएमई का श्रमिक-पूँजी अनुपात काफी अधिक है।

9. भारत में एमएसएमई क्षेत्र का दूसरा उल्लेखनीय लक्षण यह है कि लगभग 45.2 प्रतिशत उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं और इस प्रकार ये ग्रामीण विकास की संभावना को बढ़ाते हैं तथा

चार्ट 1 : जीडीपी में एमएसई का योगदान (%)

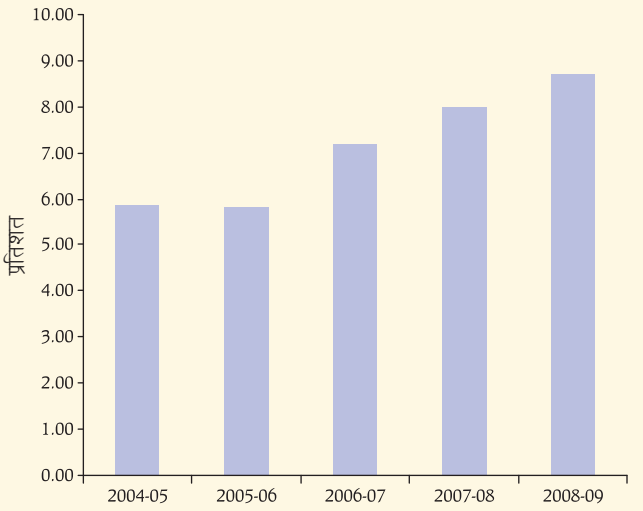

स्रोत : एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2011-12

[1] छोटे व्यवसायों को ऋण-प्रवाह बहाल करना - बेन एस.बर्नांके की टिप्पणी (जुलाई 2010)

शहरी आधारभूत संरचना का बोझ हलका करते हैं। यह तथ्य कि एमएसएमई पूरे देश में बिखरे हुए हैं, भी उन्हें क्षेत्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्त्वपूर्ण बना देता है और पूरे देश में संतुलित एवं समान वृद्धि का संवर्धन करने का साधन बना देता है।

10. मैं यह कहना चाहता हूँ कि उद्यमकर्ता-विकास एमएसएमई क्षेत्र का दूसरा प्रमुख योगदान है। उद्यमियों को नयी परियोजनाएँ आरंभ करने के लिए प्रोत्साहन देकर, जो पहले केवल विचारों के रूप में मूर्त होते हैं, एमएसएमई उनके स्वप्नों को साकार करने में समर्थ बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट, जो आज सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपना विराट अस्तित्व बनाये हुए है, ने भी एक छोटे व्यवसाय से ही अपनी शुरुआत की थी। यह शुरुआत एक छात्र द्वारा अपने परिवार और मित्रों की मदद से एक सपने के रूप में विकास को प्राप्त हुई थी। हमारा अपना इन्फोसिस एक अन्य उदाहरण है। हमारे पास ऐसे विचारों के अनेक बीज होंगे, लेकिन जब तक उनका ऋण, आधारभूत संरचना और समर्थक नीतियों के रूप में समय पर पोषण नहीं किया जाता, तब तक ये बीज अंकुरित नहीं होंगे। एक समर्थक वातावरण, जो इस प्रकार के उपक्रमणों को प्रोत्साहित और उनका पोषण करता है, न केवल उद्यमकर्ता के सपनों को साकार करता है बल्कि अन्य उद्यमियों को बड़े-बड़े सपने देखने को प्रोत्साहित भी करता है और इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था को उन्नत उत्पादकता, उच्चतर रोजगार और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता से लाभान्वित भी करता है।

11. भारत में एमएसएमई क्षेत्र उद्यमों के आकार, उत्पादों और सेवाओं की विविधता और नियोजित प्रौद्योगिकी की दृष्टि से काफी विषम है। कुल पंजीकृत एमएसएमई की अनुमानित संख्या 15.64 लाख है जिसका एक बड़ा हिस्सा (94.9 प्रतिशत) सूक्ष्म उद्यमों का है जबकि लघु और मझौले उद्यम क्रमशः 4.9 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत हैं। जहां एमएसएमई स्पेक्ट्रम का एक सिरा उच्च नवोन्मेषी और उच्च वृद्धि वाले उत्पादों को समाविष्ट करता है, वहीं 90 प्रतिशत से अधिक एमएसएमई छोटे और पंजीकृत हैं जिनकी बहुत बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में है।

12. संगठनात्मक संरचना, व्यवसाय खंड, प्रौद्योगिकी पूर्णता और भौगोलिक उपस्थिति में एमएसएमई के बीच इतनी अधिक विविधता होने के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए लक्ष्यित नीतिगत दृष्टिकोण बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तथापि, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय समानता और आबादी के सामान्य उन्नयन में इसकी महती संभाव्यता को देखते हुए यह अनिवार्य है कि हम इस क्षेत्र की समस्याओं पर समुचित रूप से ध्यान दें।

III. एमएसएमई की दुर्बलता के पीछे क्या कारण हैं?

13. एमएसएमई के विकास में बाधा पहुँचाने वाले अनेक कारक हैं। वे मोटे तौर पर वित्तपोषण, आधारभूत संरचना, सरकारी नीतियाँ (कर एवं विनियम), विपणन और प्रौद्योगिकी से संबंध रखते हैं। मुझे स्मरण है कि कुछ समय पूर्व कराये गये सर्वेक्षण ने इन बाधाओं को निम्नलिखित क्रम में रखा था - वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, सरकारी नीतियाँ। चूँकि यह अध्ययन बहुत पहले किया गया था, मुझे यह निश्चय नहीं है कि यह क्रम आज किस रूप में होता। तथापि, वित्त संबधी मुद्दे एमएसएमई के लिए आज भी चिंता की बात बने हुए हैं।

14. एमएसएमई को परेशान करने वाले वित्तेतर मुद्दों में निम्न बातें शामिल हैं: प्रतिस्पर्धी कीमत पर कच्चा माल खरीदने में कठिनाई; न्यून उत्पादन क्षमता; कुशल श्रमिकों का अभाव; अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ; आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच में कमी; आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी बाधाएँ और विश्व बाजार तक नहीं पहुँच सकना।

15. अपने छोटे आकार के चलते एमएसएमई अक्सर लागत में किफायत नहीं कर पाते हैं और बाजार के अवसरों का लाभ नहीं ले पाते जिसके लिए बड़ी उत्पादन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, उनका छोटा आकार उनके कार्यों के अंतरराष्ट्रीयकरण में बाधक बनता है, जैसेकि बाजार अनुसंधान, प्रौद्योगिकी नवोन्मेष जिससे उनकी उत्पादकता में बाधा आती है। तथापि, ऐसा नहीं है कि उनका छोटा आकार हमेशा अलाभकर होता है। एमएसएमई दक्ष और लोचदार होते हैं और अपने नवोन्मेषी विचारों का लाभ उठाने के लिए अपने इन गुणों का सहारा ले सकते हैं। जहां बड़े उद्यमों का उनके आकार के संदर्भ में अपना अलग फायदा होता है, वहीं छोटे उद्यमों को अपने लघु आकार का फायदा लेना चाहिए। माइकेल पोर्टर, जो विश्व के सर्वोत्तम रणनीति विचारक माने जाते हैं, द्वारा प्रतिपादित तीन सामान्य रणनीतियों में, लागत-नेतृत्व का अनुसरण सामान्यतः उन फर्मों द्वारा किया जाता है जो लागत में किफायत का लाभ उठाती हैं। दूसरी ओर, एमएसएमई अपना प्रतिस्पर्धी फायदा बढ़ाने के लिए फोकसिंग और /या डिफरेंशिएशन रणनीतियों को अपना सकते हैं।

IV. वित्तपोषण अंतराल

16. अब में एमएसएमई द्वारा सामना किये गये वित्तपोषण संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। छोटे व्यवसाय सामान्यतः वित्तपोषण के बहुविध स्रोतों पर भरोसा करते हैं जो आंतरिक स्रोतों,

यथा, व्यक्तिगत निधियों और मित्रों से प्राप्त निधियों से लेकर बाहरी स्रोतों तक होते हैं और औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों ही प्रकार के होते हैं जिनमें बैंकों, एनबीएफसी, वेंचर कैपिटल फंड्स और एंजेल फंड्स, आदि शामिल होते हैं। वित्तपोषण के विविध स्रोतों का आश्रय लेना उद्यम के वृद्धि की स्थिति, अपेक्षित निधियों की प्रमात्रा, वित्तीय बाजारों की परिपक्वता और नीतिगत वातावरण पर निर्भर करता है। एमएसएमई क्षेत्र की चतुर्थ संगणना से पता चला कि केवल 5.18 प्रतिशत इकाइयाँ (पंजीकृत और अपंजीकृत, दोनों) ने संस्थागत स्रोतों से वित्त प्राप्त किया था। जहां 2.05 प्रतिशत इकाईयों को गैर-संस्थागत स्रोतों से वित्त प्राप्त हुआ, वहीं अधिकांश इकाईयों, अर्थात्, 92.77 प्रतिशत को कोई वित्त प्राप्त नहीं हुआ अथवा वे स्व-वित्तपोषण पर निर्भर थीं।

17. इससे पता चलता है कि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद संस्थागत स्रोतों से एमएसएमई को ऋण प्रवाह एमएसएमई द्वारा किये जा रहे आर्थिक कार्यकलाप के अनुरूप नहीं होता है। बैंक अपनी ओर से अपने ऋण का उचित हिस्सा एमएसई को उधार देते हैं। मार्च 2012 के अंत तक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) द्वारा सूक्ष्म और लघु क्षेत्र (एमएसई) को दिया गया कुल बकाया ऋण ₹5,242 बिलियन था, जबकि यह मार्च 2011 में ₹4,75 बिलियन और मार्च 2010 में ₹3,623 बिलियन था (चार्ट 2)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को समायोजित निवल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में एमएसई को ऋण, जो वर्ष 2005 में 9.5 प्रतिशत था वह वर्ष 2011 में बढ़ कर 14.8 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 2 : एससीबी द्वारा एमएसई को दिये गये बकाया ऋण में वृद्धि (बिलियन ₹ में)

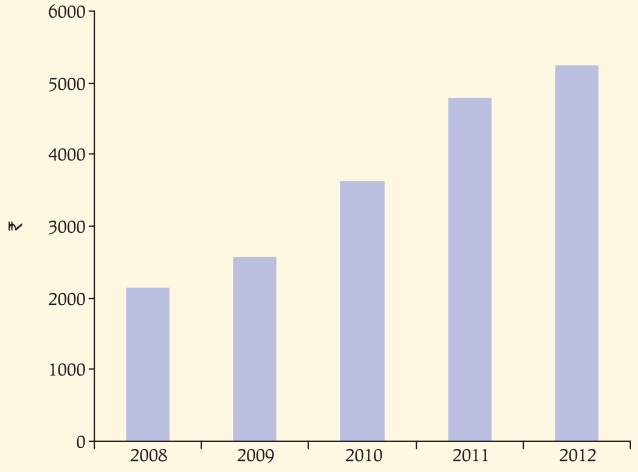

स्रोत : एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2011-12

एमएसएमई को उधार देने में बैंकों की चिंता

18. छोटे उद्यमों को उधार देते समय बैंकों को चिंता होती है। किसी छोटे उद्यम के बारे में ऋण संबंधी सूचना सहजता से उपलब्ध नहीं होती, जैसेकि बड़े फर्मों के बारे में होती है और सभी प्रकार के छोटे उद्यमों के बारे में सूचना एकत्र कर पाना उधारदाता के लिए किफायती नहीं होता। छोटे उद्यमों के पास देने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक जमानत भी नहीं होता। इसलिए उधारदाता या तो उधार नहीं देते या सूचना की विषमता की लागत को उधार दरों पर लाद देते हैं। दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि छोटे उद्यमों का जोखिम मूल्यांकन करने में पारंपरिक साधनों की तुलना में साधनों का अलग सेट अपेक्षित होता है जिसके होने पर बैंक ऐसा उधार देने से मना कर देते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक उदारणों में छोटे उद्यम एक ही उद्यमी - की-मैन -के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं और उनमें परवर्ती आयोजना का अभाव होता है जिसके चलते लेनदार ऐसे उद्यमों को उधार देने में निरुत्साहित होते हैं।

V. नीतिगत पहलें

19. आर्थिक विकास में एमएसएमई द्वारा निभायी गयी महत्त्वपूर्ण भूमिका और रोजगार तथा जीडीपी में उनके बड़े योगदान को पहचानते हुए तथा यह महसूस करते हुए कि वृद्धि और विकास के लिए एमएसएमई की वित्त तक पहुँच होना महत्त्वपूर्ण होता है, सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहायता की अनेक पहलें की हैं। मैं इनमें से कुछ पर चर्चा करना चाहता हूँ।

20. देश के सभी हिस्सों में बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे मार्च 2012 तक 2000 से अधिक आबादी वाले ऐसे गाँवों में बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करें जहाँ बैंकिंग सुविधाएँ नहीं हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि ये बैंकिंग सुविधाएँ केवल किसी परंपरागत बैंक शाखा के माध्यम से न दी जायें, बल्कि ये सुविधाएँ बिजनेस करेसपौंडेंट के माध्यम से, जिसमें सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित मॉडलों का उपयोग किया जा सकता है, दी जा सकती हैं। इस प्रकार के कुल 74,414 बैंक सुविधा रहित गाँवों की पहचान की गयी और और उन्हें राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) के माध्यम से विविध बैंकों को आबंटित किया गया। मार्च 2012 के अंत तक विभिन्न राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों की राज्य स्तरीय बैंकर समितियों से सूचना प्राप्त हुई थी कि देश भर में 74,199 (97.7 प्रतिशत) गाँवों में बैंक खोले गये। इनमें 2,493 बैंक शाखाएँ थीं, 69,374 बिजनेस

करेसपौंडेंट और 2,332 अन्य, यथा, ग्रामीण एटीएम, मोबाइल वैन, आदि थे। बैंकिंग की इस विस्तारित व्याप्ति से अब तक बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में परिचालनरत एमएसएमई को वित्तीय सेवाओं तक अधिक पहुँच उपलब्ध हो सकेगी।

21. इसके अलावा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) की ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल (अध्यक्ष : श्री वी.के शर्मा, कार्यपालक निदेशक, आरबीआई) की सिफारिशों के आधार पर, एमएसई के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा को ₹5 लाख के स्तर से बढ़ा कर ₹10 लाख के स्तर तक कर दिया गया है और इसे बैंकों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। कार्यदल ने गारंटी-रक्षा की सीमा बढ़ाने, कुछ शर्तों के अधीन संपार्श्विक मुक्त ऋण गारंटी फीस का अवशोषण सीजीटीएमएसई द्वारा किये जाने, सीजीटीएमएसई के पास दावे दाखिल करने की क्रियाविधि के सरलीकरण और योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाये जाने के संबंध में भी सिफारिशें की हैं। कार्यदल ने सीजीटीएमएसई, जो ऋण गारंटी योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, को कहा है कि वह इन सिफारिशों का शीघ्र कार्यान्वयन करें। इसके कार्यान्वयन से गारंटी योजना का उपयोग बढ़ना चाहिए और इससे एमएसई को ऋण की गुणवत्ता और परिमाण में वृद्धि होनी चाहिए, जो अंततः धारणीय और समावेशी वृद्धि में सहायक होगा।

22. किसी भी उद्यम के लिए रुग्णता का समय पर पता लगा लिया जाना महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि इस संबंध में किसी प्रकार का विलंब किये जाने से रुग्ण, किन्तु संभाव्य रूप से लाभप्रद इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने की संभावना प्रभावित होती है। किसी इकाई के रुग्ण होने की पहचान करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए रुग्णता की वर्तमान परिभाषा का संशोधन, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रुग्ण एसएमई के पुनर्वास के संबंध में गठित कार्यदल की सिफारिशों के अनुरूप हो, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचाराधीन है।

23. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अनर्जक ऋणों की वसूली के लिए एक एमएसई ऋण नीति, पुनर्संरचना /पुनर्वास नीति और भेदभाव रहित एकबारगी निपटान योजना बनायें जो उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हो और उसकी समीक्षा करें। दिसंबर 2009 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे भेदभाव रहित एकबारगी निपटान योजना का व्यापक प्रचार करने के लिए उसे अपने बैंक की वेबसाइट पर रखें और सूचना प्रसार के अन्य संभव तरीके से उसका व्यापक प्रचार करें।

24. विभिन्न उद्योग संघों /चैम्बरों से प्राप्त उन शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कि बैंक उनके ऋण आवेदनों को स्वीकार नहीं करते, सभी बैंकों को अधिदेश दिया गया कि वे अपने एमएसएमई उधारकर्ताओं द्वारा अयांत्रिक रूप से या ऑनलाइन भेजे गये सभी ऋण आवेदनों को स्वीकार करें और यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्रों पर और उनकी पावती पर चल क्रम संख्या दी जाती है।

25. ऋण के वैकल्पित स्रोतों, एमएसएमई के लिए समर्पित एक्सचेंजों, विपणन, प्रौद्योगिकी कोटि उन्नयन और आधारभूत संरचना संबंधी मुद्दों पर प्रधानमंत्री के कार्यबल ने बाधाओं पर ध्यान देने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के समयबद्ध कार्यान्वयन की निगरानी भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

26. स्वच्छ उत्पादन नीतियाँ एमएसएमई को ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, उत्सर्जन को कम करने और दीर्घावधि में लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करती हैं। मूल्यवान उपोत्पादों की पुनःप्राप्ति और नये बाजारों तक पहुँच में बढ़ोतरी, आपूर्ति श्रृंखला और वित्तपोषण ऐसे स्वच्छ उत्पादन उपायों के अन्य लाभ होते हैं। इस संबंध में सिडबी जैसी संस्थाएँ ऊर्जा-दक्ष परियोजनाओं के लिए ऋण दे रही हैं। एमएसएमई इस प्रकार की सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं।

27. पिछले वर्ष घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति इस तथ्य को स्वीकार करती है कि वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा करने लायक बनने और विनिर्माण क्षेत्र में धारणीय वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन ही एकमात्र और सबसे तेज तरीका होता है। इस नीति में एक प्रौद्योगिकी अभिग्रहण एवं विकास निधि स्थापित करने की परिकल्पना की गयी है जो संपूर्ण उद्योग जगत की चिंताओं पर ध्यान देगी। इसमें प्रौद्योगिकी अभिग्रहण के लिए आंशिक प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

28. इन उपायों के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों के लिए अनेक अनुदेश जारी किये हैं कि वे ऋण सुपुर्दगी बढ़ायें और रोजगार-प्रधान एमएसएमई क्षेत्र को समय पर और पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करें।

VI. भावी पथ

जोखिम निर्धारण और कीमत-निर्धारण

29. ऋण पात्रता निर्धारण से उधारदाताओं को उधारकर्ताओं की ऋणपात्रता के बारे में सूचना प्राप्त होती है और वे अधिक कुशल निर्णय ले सकते हैं। उच्च ऋणपात्रता रखने वाले उधारकर्ताओं को

अनुकूल उधार-शर्तों, यथा, न्यून संपार्श्विक अपेक्षाओं, घटी हुई ब्याज दर, सरलीकृत उधार मानदंड और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण तेज गति से उपलब्ध कराये जाने का लाभ मिलता है। इस प्रकार, विश्वसनीय ऋण पात्रता निर्धारण अधिक आसानी से और उचित लागत पर ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाता है। ऋण पात्रता निर्धारण एसएमई के लिए एक सशक्त स्व-उन्नयन साधन हो सकता है और उन्हें अपने परिचालनों में सही तालमेल रखने में मदद कर सकता है। तथापि, सामान्यतः यह देखा गया है कि एमएसएमई की अभी भी बड़ी संख्या ऋण पात्रता निर्धारित नहीं है। संस्थाओं को अपना ऋण पात्रता निर्धारण करवा लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निर्धारण-शुल्क की आंशिक प्रतिपूर्ति की व्यवस्था भी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के माध्यम से की जा रही है। एमएसएमई को ऋण पात्रता निर्धारण के फायदों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपना पात्रता निर्धारण करवाना चाहिए। उद्योग-निकाय पात्रता निर्धारण की आवश्यकता और फायदों के बारे में एमएसएमई को शिक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

पूँजी तक पहुँच

इक्विटी :

30. एमएसएमई के व्यवसाय मॉडल की विचित्रता को देखते हुए इक्विटी उनके वित्तपोषक राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण घटक हो जाता है। अधिकांश एमएसएमई, विशेष रूप से ज्ञान-आधारित उद्यम, को अपना उद्यम आरंभ करते समय ऋणात्मक नकदी प्रवाह होता है और उनके पास कोई संपार्श्विक नहीं होता और इसीलिए वे ऋण-पूँजी या बैंक से वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उद्यम /जोखिम पूँजी अक्सर अधिक उपयुक्त वित्तपोषण साधन अधिक वृद्धि संभावना के लिए और आरंभिक एसएमई के लिए होता है। फर्में विशिष्ट रूप से उद्यम पूँजी की खोज में रहती हैं ताकि उन्हें आवश्यक वित्तपोषण प्राप्त हो और वे अपना विस्तार कर सकें, नये बाजारों में प्रवेश पा सकें और तेजी से आगे बढ़ सकें। इस प्रकार, एमएसएमई (विशेष रूप से वे, जो नवोन्मेष और नयी प्रौद्योगिकी को शामिल करते हैं) की पूँजी के वैकल्पिक स्रोतों, यथा, एंजेल फंड्स /जोखिम पूँजी तक पहुँच की योग्यता को काफी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ताकि उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जा सके और उसका विकास किया जा सके। वर्ष 2012-13 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने सिडबी में ₹50 बिलियन की एक इंडिया अपॉर्चुनिटी वेंचर फंड स्थापित किये जाने की घोषणा की है ताकि एमएसएमई क्षेत्र को इक्विटी की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। एमएसएमई के संबंध में गठित प्रधानमंत्री के कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी एसएमई के शेयरों को सूचीबद्ध करने और लेन देन करने के लिए अलग से एक समर्पित एक्सचेंज /प्लैटफार्म का गठन किया है, जिससे उनके लिए पूँजी जुटाना आसान हो गया है।

कर्ज :

31. सुदक्ष पूँजी संरचना निर्णयों के लिए, इक्विटी और कर्ज का एक इष्टतम मिश्रण बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। विनियामकों और नीति-निर्माताओं द्वारा कारपोरेट बांड बाजार का विकास करने के लिए एकजुट प्रयास इस बात को ध्यान में रखते हुए किये जा रहे हैं कि वे कारपोरेटों को एक कुशल, पारदर्शी और द्रुत गति से देशी ऋण-पूँजी जुटाने में मदद करने की रणनीतिक भूमिका निभाते हैं। कारपोरेट बांड बाजार का विकास होने पर, हम इसमें नवोन्मेष की उम्मीद कर सकते हैं जो एमएसएमई को किफायती ढंग से कर्ज जुटाने में सुविधा प्रदान करेगा।

फैक्टरिंग सेवाएँ

32. ग्राहकों से समय पर भुगतान प्राप्त होने से एसएमई को अपनी कार्यशील पूँजी अपेक्षाओं को कम करने में मदद मिलेगी जिससे उनकी ब्याज लागत कम होगी, लाभप्रदता में सुधार होगा और भारत के एसएमई क्षेत्र की दार्घावधि स्थिति और धारणीयता पर सकारात्मक प्रभाव होगा। बकायों के निपटान में विलंब होने से एसएमई निकायों की निधियों के पुनर्निवेश और व्यवसाय परिचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्रिसिल द्वारा किये गये 5000 एसएमई के अध्ययन में दर्शाया गया है कि समस्त एसएमई में उद्योग और भौगोलिक क्षेत्र में प्राप्य राशियों की उच्च मात्रा एक स्थानिक समस्या है। छोटे एसएमई संभवतः अपनी न्यून सौदा-शक्ति के चलते प्राप्य राशियों की दुर्बल स्थिति के साथ अधिक अलाभकर स्थिति में होते हैं। क्रिसिल के अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि यदि एसएमई को बड़े कारपोरेट ग्राहकों से समय पर भुगतान प्राप्त हो जाए तो वे अपना लाभ कम से कम 15 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं।

33. अतः, यह सुनिश्चित किया जाना महत्त्वपूर्ण होगा कि छोटे प्रतिष्ठान अपनी प्राप्य राशियों पर चलनिधि जुटा सकें। इस समस्या का समाधान संस्थागत रूप से फैक्टरिंग द्वारा किया जा सकता है जो एसएमई को उनकी प्राप्य राशियों पर चलनिधि प्रदान करता है और यह कार्यशील पूँजी का वैकल्पिक स्रोत हो सकता है। पूरी दुनिया में एसएमई और बड़े संगठनों के लिए भी कार्यशील पूँजी तक पहुँच बनाने का तरजीही मार्ग फैक्टरिंग होता है। भारत में कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने पहले ही फैक्टरिंग सेवाएँ आरंभ कर दी हैं और मैं

अधिकाधिक बैंकों से अनुरोध करूँगा कि वे ऐसी सेवाएँ, विशेष रूप से एसएमई के लिए, प्रदान करें। फैक्टरिंग सेवाओं के लिए एक विधायी ढाँचा प्रदान करने के लिए संसद ने हाल ही में एक फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल पारित किया है जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान में विलंब और चलनिधि से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देगा।

एमएसएमई के लिए नवोन्मेषी ऋण योजनाएँ

34. लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय, सिडबी, भारत सरकार, राज्य सरकारों और आरबीआई द्वारा चाहे जो भी प्रयास किये गये हों, एमएसएमई के वित्तपोषण में काफी माँग-आपूर्ति असंतुलन बना हुआ है जिसका कारण है इस प्रकार के प्रतिष्ठानों में शामिल उच्च ऋण जोखिम को देखा जाना। इस क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए इस समय इस बात की आवश्यकता है कि एमएसएमई के लिए नवोन्मेषी ऋण योजनाएँ आरंभ की जायें, यथा, आपूर्ति-शृंखला वित्तपोषण, जिससे एसएमई भुगतान मिलने तक अपनी आपूर्ति पर अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे एमएसएमई की कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा करने में आसानी होगी और उनके सुचारू परिचालन में सुविधा होगी।

35. उपस्कर पट्टा वित्त जैसे उत्पाद मीयादी वित्त की आवश्यकता पर ध्यान दे सकते हैं जबकि प्राप्य राशियाँ वित्तपोषण, बिल भुनाई, प्रति फैक्टरिंग, आदि जैसे उत्पाद कार्यशील पूँजी वित्त प्रदान कर सकते हैं। निरंतर वित्तीय नवोन्मेष से, जो इस क्षेत्र की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के उपयुक्त हो, एमएसएमई के वित्तपोषण संबंधी विकल्पों में बढ़ोतरी हो सकेगी और लागत में कमी आयेगी जिससे ये प्रतिष्ठान अपनी पूरी संभाव्यता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

प्रौद्योगिकी तक पहुँच

36. प्रौद्योगिकी स्थिति-परिवर्तक होती है। इसमें एमएसएमई के लिए परिचालन लागत को घटाने, दक्षता बढ़ाने और उनके लिए नये बाजार और अवसर पैदा करने की संभावना होती है। प्रौद्योगिकी का पूरा फायदा उठाने के लिए एमएसएमई को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए ताकि यह प्रतिस्पर्धी और अर्थक्षम बना रहे। वस्तुतः, एमएसएमई के पास नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी ऐसे दो साधन होते हैं जिनका पूरा लाभ उठाते हुए वे अपने से आकार में अधिक बड़ी फर्मों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। एसएमई को निरंतर प्रयास करना होगा कि वे अपनी उत्पादन-प्रक्रियाओं में और अपने विपणन एवं प्रबंधन-कार्य में नवीनतम प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करें ताकि उनकी लागत में कमी हो, दक्षता बढ़े और उनके कार्यों में सुसंगति आए।

37. तथापि, प्रौद्योगिकी मुफ्त में नहीं आती। सूचना प्रणाली को स्थापित करने और उसके अनुरक्षण में लगने वाली उच्च लागत और इस प्रणाली का परिचालन करने के लिए कुशल व्यक्तियों की भर्ती के बारे में अनेक छोटी फर्में चिंतित होंगी। नयी अवधारणाएँ, यथा, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो संसाधनों की सहयोगात्मक साझेदारी को समर्थ बनाता है, छोटी-छोटी फर्मों के लिए भी उन्नत प्रौद्योगिकी का सहारा लेना सुविधाजनक बनाती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से एमएसएमई के महत्त्वपूर्ण संसाधन भी मुक्त रहते हैं जिनका उपयोग मुख्य कार्यकलापों पर ध्यान देने में किया जा सकता है। अतः, एमएसएमई के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी गतिविधियों की जानकारी रखना आवश्यक होता है। उन्हें आवश्यक कौशल विकसित करना चाहिए ताकि वे नयी प्रौद्योगिकी को अपना सकें और इसके साथ ही उन्हें उन जोखिमों से भी अवगत होना चाहिए जो इस प्रकार के अवसरों के पीछे छिपी होती हैं तथा उन्हें इन जोखिमों का प्रबंध करने की जरूरत है।

कुशल श्रम-शक्ति और प्रबंधकीय प्रतिभा

38. एसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास संबंधी मुद्दे मौलिक होते हैं। अनुभवमूलक अध्ययन यह दर्शाता है कि मानव- पूँजी वृद्धि का महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्व होती है। एसएमई की उन प्रतिस्पर्धी दबावों को सहन करने की योग्यता, जो व्यापार उदारीकरण के साथ आते हैं, इस पर निर्भर करेगी कि उनके पास घरेलू तौर पर किस स्तर के कुशल व्यक्ति उपलब्ध हैं। वास्तव में ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ उधारदाताओं ने प्रबंध-कौशल को ऋण के लिए संपार्श्विक का नवोन्मेषी रूप माना है। भारत सरकार और अनेक राज्य सरकारें कौशल विकास के लिए वर्षों से अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं। ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरइएसटीआई) भी इस दिशा में कार्यरत है। एमएसएमई के लिए मानव पूँजी से संबंधित मुद्दों में एमएसएमई प्रवर्तकों की प्रबंधकीय गुणवत्ता को बढ़ाना और उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के लिए कुशल कार्यबल का निर्माण करना शामिल हैं। अनेक संस्थाएँ, यथा,राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम संस्थान (एनआइएमएसएमई) प्रशिक्षण देने और क्षमता-निर्माण में मदद करते हैं जो एमएसएमई के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होता है।

39. तथापि, एमएसएमई क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों और विशाल 'जनांकिकी पूँजी', जो हमारे पास है, को देखते हुए अभी भी कौशल-वृद्धि और उद्यमिता विकास के लिए काफी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में मेरे विचार

निम्नलिखित हैं : (i) सरकारी एजेंसियों द्वारा किये गये प्रयासों के अतिरिक्त उद्योग को प्रशिक्षण और हस्त-कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया के माध्यम से एमएसएमई में नियोजन के लिए उपलब्ध युक्तियुक्त रूप से कुशल कार्यबल के बड़े आधार का निर्माण करने में योगदान करना है, (ii) उद्योग संघों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि कामगारों का कौशल उन्नयन हो और उन्हें नयी प्रौद्योगिकी के अनुकूल कौशल से अवगत कराया जाना चाहिए और (iii) उद्यमिता प्रशिक्षण को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि युवकों की उन्मुखता और मानसिकता बदले और वे बाद में अपने जीवन में उद्यमी बनने के लिए तैयार हों। एक कहावत है कि' *यदि आप किसी को* ***मछली दें****, तो आप उसे एक दिन खिलायेंगे। यदि आप किसी को* ***मछली पकड़ना सिखायें,*** *तो आप उसे जीवनपर्यंत खिलाने का काम करेंगे।'*

जोखिम प्रबंधन और अभिशासन

40. तुलनपत्र के परिप्रेक्ष्य में, जोखिम की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है कि वास्तविक नकदी प्रवाह पूर्वानुमानित प्रवाह से नीचे गिरता है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि छोटे व्यवसायों के 90 प्रतिशत तक विफल होने का कारण अपर्याप्त नकदी प्रवाह होता है। नकदी प्रवाह से संबंधित समस्याओं का अनुमान लगाना और कमियों का प्रबंध करने के लिए आवश्यक कौशल निर्माण करना एमएसएमई के लिए जोखिम प्रबंधन-नीति के केंद्र में होना चाहिए। हाल की अवधि की अत्यधिक अस्थिरता को देखते हुए एमएसएमई अनेक अन्य जोखिमों, यथा, ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम से अधिकाधिक असुरक्षित हो रहे हैं। एमएसएमई को इन जोखिमों का प्रबंध करने की आवश्यकता है ताकि वे अर्थक्षम बने रहें।

41. एमएसएमई के लिए क्षमता-निर्माण संस्थाओं की युक्तियुक्त सहायता से, जो सेमीनारों और कार्यशालाओं के माध्यम से मिलती है, कारपोरेट अभिशासन और जोखिम प्रबंधन के साथ इसकी सहबद्धता के महत्त्व को समझना आवश्यक है। इन्फोसिस, जो कुछ समय पहले एक छोटा उद्यम था, के आज एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फर्म बनने में अंशतः इसका ठोस अभिशासन ढाँचा मददगार हुआ है। अभिशासन ढाँचा ठोस होगा तो निवेशकों के उधार की लागत कम होगी जिससे एमएसएमई की लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। अतः, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए, यह अनिवार्य है कि हमारे एमएसएमई जोखिम प्रबंधन और अभिशासन में अपना कौशल विकसित करें ताकि उनके पास ठोस *जोखिम अभिशासन* हो।

वृद्धि के लिए (अस्तित्व के लिए नहीं) प्रतिस्पर्धा करना

42. प्रबंधन गुरु स्व.सी.के.प्रह्लाद ने दो सारगर्भित कृतियाँ प्रस्तुत की थीं, यथा, *कंपीटिंग फॉर दि फ्यूचर* और *फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ दि पिरामिड।* मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज के संदर्भ में ये दोनों कृतियाँ एमएसएमई के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। इसे मैं स्पष्ट करूँगा। समावेशी वद्धि से संबंधित नीतियाँ, यथा, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरइजीएस), ग्रामीण आबादी को अपने उपभोग की क्षमता और इच्छा बढ़ाने में मदद करेगी। इससे बॉटम ऑफ दि पिरामिड, अर्थात्, समाज के निम्न स्तर की क्रय-शक्ति बढ़ेगी। एमएसएमई, जो द्रुत गति वाला और निम्न स्तर से समीपता रखने वाला होता है, इस बढ़े हुए उपभोग से निश्चय ही लाभान्वित होगा।

43. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एमएसएमई को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसकी वृद्धि के लिए काफी अवसर है, यदि यह गुणवत्ता औरयुक्तियुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करे। जैसाकि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है, एमएसएमई की कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण का नवोन्मेषी तरीका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है, जो उन्हें आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा करने में सहायक होगा।

एमएसएमई संघों की भूमिका

44. हमारे देश में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और एमएसएमई संघ विभिन्न पूर्व सक्रिय उपायों के माध्यम से एमएसएमई के लिए वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ये संस्थाएँ बैंकों, एनबीएफसी और वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने, ऋण पात्रता निर्धारण के लाभ, वैकल्पिक वित्त के विकल्पों, यथा, उद्यम पूँजी /एजेल फंडिंग, फैक्टरिंग, बिल भुनाई, हाल ही में प्रारंभ किये गये एसएमई एक्सचेंज /प्लैटफार्म, आदि के बारे में अपने एमएसएमई सदस्यों को जानकारी देने के अलावा नीति-निर्माताओं के साथ मिल कर और प्रशिक्षण /क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए उन्हें अधिक जागरूक बना सकती हैं।

समापन विचार

45. अब मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि एमएसएमई द्वारा रोजगार सृजन में किये गये योगदान, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से उद्यमकर्ता विकास

को देखते हुए वे आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूँकि एमएसएमई देश भर में फैले हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी जबर्दस्त उपस्थिति है, उनकी वृद्धि भी अधिक संतुलित और सुदृढ़ विकास का नेतृत्व करती है और शहरी आधारभूत संरचना पर दबाव को हलका करती है। अर्थव्यवस्था की वर्तमान अवस्था को देखते हुए एमएसएमई हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को नवीकृत करने और आर्थिक सुधार की गति तेज करने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन्हीं कारणों से मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि एक सुदृढ़ और आघात सहनीय एमएसएमई क्षेत्र का निर्माण करना समय की अनिवार्य माँग है।

46. एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय असमावेशन की सीमा का विस्तार अधिक है। चूँकि केवल 5 से 10 प्रतिशत एमएसएमई को संस्थागत निधीयन में शामिल किया जाता है, इस बात की आवश्यकता है कि इस बड़े अंतराल को समर्थक नीतियों के माध्यम से पाटा जाये। बैंक और वित्तीय संस्थाएँ एमएसएमई की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। इनमें से कुछ भविष्य में बड़े कारपोरेट और संभाव्य एमएनसी बन सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक एक समर्थक नीतिगत वातावरण प्रदान करते हुए एमएसएमई क्षेत्र की मदद करने का प्रयास कर रहा है और मैं सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे दिशा-निर्देशों का पूरा पालन करें ताकि इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र की ओर ऋण प्रवाह बढ़े। एक सुदृढ़ एमएसएमई क्षेत्र के निर्माण के इस कठिन कार्य में एमएसएमई संघों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। एमएसएमई को भी अपनी ओर से जवाबदेह उधारकर्ता बनना चाहिए, बैंक ऋण का समझदारी से उपयोग करना चाहिए और देश के भीतर तथा बाहर व्यवसाय अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। उन्हें अपनी अभिशासन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करना चाहिए, उचित बही खाते रखना चाहिए, बैंकों को सही सूचना देनी चाहिए और अपने परिचालनों को अधिक दक्ष और उत्पादक बनाना चाहिए ताकि वे बैंकों और अन्य निवेशकों से प्राप्त होने वाले वित्त तक आसानी से पहुँच प्राप्त कर सकें। मुझे आशा है कि सभी पणधारियों के एकजुट प्रयास से एमएसएमई क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी और दक्ष और आर्थिक विकास में बहुत योगदान करने वाला बनेगा।

47. मैं इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन करने के लिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बधाई देता हूँ और इसमें किये गये विचार-विमर्श की सफलता की कामना करता हूँ।

संदर्भ :

1. एलेन और अन्य (2008), *फाइनैंशियल सिस्टम कैपेसिटीज ऑफ इंडिया एंड चाइना,* वर्किंग पेपर

2. ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनैंशियल इन्क्लूजन (जीपीएफआइ) वेबसाइट। एसएमई वित्त के संबंध में उप-समूह, जी-20

3. जी-20 सिओल शिखर सम्मेलन (अक्तूबर 2010), *स्केलिंग अप एसएमई एक्सेस टू फाइनैंशियल सर्विसेज इन दि डेवलपिंग वर्ल्ड*

4. आइएसबी इनसाइट खंड 9 अंक 3 *'एसएमई फाइनैंसिंग चैलेंजेज: बिल्डिंग अल्टरनेटिव फाइनैंशियल ऑप्शन्स'*

5. *एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2011-12.* भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय

6. बोलोग्ना सम्मेलन, इटली, 2000 में *'एनहान्सिंग दि कंपीटिटिवनेस ऑफ एलएमई थ्रू इन्नोवेशन'* के संबंध में ओईसीडी पृष्ठभूमि दस्तावेज

7. भरत पी. नवीन राजेश, मोरास, ए.जे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (एजेआइएम) मैंगलोर द्वारा *प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेज ऑफ एसएमई इन इंडिया* विषय पर निबंध

8. *एमएसएमई के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्यबल की रिपोर्ट, जनवरी 2010* (अध्यक्ष : श्री टी.के.ए.नायर)

9. *रुग्ण एसएमई के पुनर्वास के संबंध में कार्यदल की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : डॉ.के.सी.चक्रवर्ती)

10. *एसएमईज इन इंडिया :इश्युज एंड पॉसिबिलिटीज इन टाइम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन* - लेखक केशब दास

11. अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए यूएस एजेंसी *'रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी ऑप्शन्स ऑर एसएमई फानैंशियल लिटरैसी,* अप्रैल 2009, एसएमई के दक्षिण अफ्रीका बाजार के लिए।